सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 30.08.2023

जानलेवा हमला करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर जानेलवा हमला करने के वांछित अभियुक्त नानबाबू उर्फ बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने अपने परिजनों के साथ मिलकर दिनांक 29.08.2023 को मुकदमें की रंजिश के चलते वादी रमेश सोनकर पुत्र मलिकराम सोनकर नि0 ओरी पुरवा मौजा भटपी थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के परिजनों को गाली–गुप्ता देते हुए लाठी/डण्डों/बांको से मारा–पीटा तथा छप्पर के बने मकान में आग लगा दी थी। जिससे वादी के भाई के सिर पर गम्भीर चोटे आयी थी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. नानबाबू उर्फ बाबू पुत्र स्व0 रामदेव गोस्वामी नि0 ओरी पुरवा भटपी थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–311/23, धारा 147,148,149,323,504,506,307,436 भादवि व 3(2)5 एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 संतोष कुमार यादव मय टीम।

प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 30.08.2023

‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से दहेज हत्या करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रू0 10,000/– के अर्थदण्ड की सजा–

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दहेज हत्या करने के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रू0 10,000/– के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना करनैलगंज पुलिस ने जानलेवा हमला करने के आरोप में आरोपी अभियुक्त–सन्तबक्श उर्फ अर्जुन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अमित कुमार पाठक, मॉनिटरिंग सेल व थाना करनैलगंज के पैरोकार हेड का0 दीनबन्धु दूबे के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट गोण्डा ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रू0 10,000/– के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता–

01. सन्तबक्श उर्फ अर्जुन पुत्र अमरेश सिंह नि0 ग्राम काशीपुर हरिपाल पुरवा थाना करनैलगेंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–102/20, धारा 498ए,304बी भादवि 3/4 डी0पी0 ऐक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।